

**महत्वपूर्ण एवं खास**

**ट्रेक्टर पलटने से ड्रायवर की**

**दबकर मौत, एक अन्य घायल**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना सारंगढ़ अन्तर्गत दिनांक 10.12.19 को ग्राम अमझर भदरीडीपा में रहने वाला कार्तिक राम साहू पिता राधे राम उम्र 27 वर्ष गांव के लखन पटेल के स्वराज ट्रेक्टर मे बैठकर मिक्कर मशीन लेने अमलीडीपा जा रहा था। ट्रेक्टर को धनालाल मरार पिता फिरतराम उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम अमझर चलाते ले जा रहा था कि सुबह करीब 07:30 बजे भीमसेनडीह मेन रोड के पास धनालाल मरार ट्रेक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाते पलटा दिया। जिससे में दबकर ड्रायवर धनालाल व कार्तिक राम घायल होकर बेहोश पड़े थे जिन्हे डायल 112 वाहन के माध्यम से उपचार के लिये सिविल अस्पताल सारंगढ़ भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा चेक कर धनालाल मरार की मृत्यु हो जाना बताया गया तथा ट्रेक्टर मे बैठे कार्तिक राम के कमर मे काफी चोट आयी है। घटना के संबंध में थाना सारंगढ़ में आहत कार्तिक राम के चाचा के रिपोर्ट पर अप.क्र. 638/19 धारा 279,337,304 ए भादवि का अपराध चालक धनालाल मरार के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

**बाईक रोस्म का ताला तोड़कर**

**2 लाख 90 हजार की चोरी**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** ग्राम कमरीद थाना सरिया निवासी भुवनेश्वर पटेल पिता चोकलाल पटेल भुवनेश्वर पटेल का बरमकेला के लेन्धरा रोड में मोटर सायकल पारस होण्डा रोस्म दुकान है। हर दिन की भाति भुवनेश्वर पटेल कल दिनांक 09/12/2019 को भी सुबह 08:30 बजे दुकान खोलकर शाम को 06:30 बजे दुकान बंद कर दिया। दिनांक 10/12/2019 को 08:15 बजे दुकान के बगल दुकानवाले रामकुमार बरेठ ने फोन करके बताया कि तुम्हारे दुकान का ताला टूटा है। तब भुवनेश्वर पटेल दुकान जाकर देखा दुकान का ताला टूटा था तथा अंदर दराज मे रखे करीब 2,90,000 रुपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। चोरी के आवेदन पर थाना बरमकेला में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 228/19 धारा 457, 380 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया है।

**निर्वाचन व्यय लेखा जांच 12**

**एवं 17 दिसम्बर को**

**समस्त अर्थाथी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 01 से 48 वार्डों के प्रथम निर्वाचन व्यय लेखा जांच 12 दिसम्बर एवं द्वितीय निर्वाचन व्यय लेखा जांच 17 दिसम्बर को कलेक्टर के सृजन सभाकक्ष में प्रातः 10.30 से शाम 5.30 बजे तक किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिक निगम रायगढ़ के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से व्यय लेखा रजिस्टर मय समस्त दस्तावेज, बिल व्हाउचर्स सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति को गंभीर चूक माना जाएगा।

**व्यय प्रेक्षक सुमंत साय कुरुवंशी के लिए लाइजनिंग आफिसर नियुक्त**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ एवं नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के लिए संयुक्त संचालक सुमंत साय कुरुवंशी को व्यव प्रेक्षक बनाया गया है तथा उनके आवश्यक सहयोग हेतु नगर पालिक निगम रायगढ़ के राजस्व निरीक्षक रोहित मिर्रे मोबा.नंबर 91317-90507 को लाइजनिंग आफिसर नियुक्त किया गया है।

**5 अशासकीय विद्यालय की मान्यता रद्द करने की अनुरोध**

**26 विद्यालयों पर किया गया जुर्माना**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** रायगढ़ जिले के अंतर्गत संचालित 102 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय के सत्र 10-11 से 18-19 तक के बच्चों की प्रविष्टि करने तथा पासबुक व देयक की प्रविष्टि करने हेतु 6 दिसम्बर 2019 तक का समय दिया गया था। उक्त अवधि में कार्य पूर्ण न करने पर मान्यता समाप्ति की चेतावनी दी गई थी। 69 विद्यालयों द्वारा कार्य पूर्ण किया गया। किन्तु 33 विद्यालयों के द्वारा कार्य पूर्ण न करने के फलस्वरूप दिनांक 7 दिसम्बर 2019 को अनुश्रवण समिति की बैठक रखी गई। जिसमें 5 विद्यालय की मान्यता रद्द एवं 26 विद्यालय का जुर्माना अधिरोपित करने हेतु अनुरोध किया गया। एक विद्यालय का कोट केश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

**जमीन बटवारे के विवाद को लेकर ससुरालवालों ने की थी युवती की हत्या**

**» देवरी में हुये अंधे कत्ल का खुलासा, हत्या के आरोप में पति, सास, ससुर, देवर, नन्द गिरफ्तार**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जमीन जवादाद की लालच में एक ही परिवार के 05 लोगों ने युवती की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को निर्वस्त्र घर के करीब झाड़ियों के पास सुखे नाला में फेंक दिया गया था। अंधे कत्ल के खुलासा करते हुये इस हत्या में सलिस 05 आरोपियों को भूपदेवपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 05.12.19 को थाना भूपदेवपुर अन्तर्गत ग्राम देवरी के कोटवार मोहर दास महंत के द्वारा थाना प्रभारी भूपदेवपुर को मोबाईल से सूचना दिया कि गांव के नकाईन मुछ तालाब के पास नाली झाड़ियों के बीच गांव की गंगोत्री बाई बधेल का लाश पडा है। सूचना पर थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम कुमार साहू स्टाफ के साथ मौके पर जाकर तस्दीक किया गया। मौके पर मृतिका गंगोत्री बधेल पति मनोहर बधेल उम्र 26 वर्ष का शव निर्वस्त्र हालत में पानी निकासी हेतु बना सिमेंटेड निकासी नाली के अंदर झाड़ियों के बीच में संदिग्ध हालत में पाये जाने पर थाना प्रभारी



द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ.पी खरसिया, एफ.एस.एल. एवं सायबर सेल की शव निर्वस्त्र हालत में पानी निकासी हेतु बना सिमेंटेड निकासी नाली के अंदर झाड़ियों के बीच में संदिग्ध हालत में पाये जाने पर थाना प्रभारी

आरोपी पतासाजी के लिये थाना खरसिया एवं पूंजीपथरा के स्टाफ को भी भूपदेवपुर पुलिस के साथ अज्ञात आरोपी पतासाजी के लिये आबद्ध किया गया। भूपदेवपुर पुलिस द्वारा घटना के संबंध में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही कर शव का पी0एम0 कराया गया, प्राप्त पी0एम0 रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु

सिर शरीर में अंदरूनी गंभीर चोट आने से मृत्यु होना लेख किया गया है जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 198/19 धारा 302,201,34 भा0द0वि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान मृतिका के मायके पक्ष तथा गवाहों से पूछताछ में पता चलाकि मृतिका के ससुर

हीरालाल की तीन पत्नियां थी। जिसमें से तिहारिन बाई जीवित है। मृतिका के पति मनोहर की मां फौत हो चुकी है। मृतिका गंगोत्री बाई एवं उसके ससुराल पक्ष का जमीन बटवारा को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा था जिसके कारण गंगोत्री अपने पति मनोहर को साथ लेकर अपने मायके चली गई थी। घटना के करीब 07-08 दिन पहले ससुराल वाले बटवारा देगे कहकर मनोहर एवं गंगोत्री को वापस बुलवाये थे। 01-02 दिन सामान्य रहने के बाद फिर ससुर हीरालाल एवं सास तिहारिन बाई लडाई झगडा करने लगे तथा जमीन जायजाद का हिस्सा बटवारा नही मिलेगा कहकर घर से निकल जाओ बोले थे। तब गंगोत्री बाई सगा समाज को बुलाकर मिटिंग करायी। वहां भी हीरालाल एवं उसकी पति एवं बेटा सुनील, कौशिल्या के द्वारा जमीन का बटवारा नही देगे कहकर लडाई झगडा किये थे।

घटना के संबंध में कई बार विस्तृत पूछताछ किया गया। उनके द्वारा लगातार अलग-अलग कहानी बनाया जा रहा था, जिससे पुलिस का संदेह स्पष्ट होता गया, आखिरकार आरोपियों ने यह स्वीकार किया जिससे यह बात सामने आयी कि दिनांक 04.12.19 को मृतिका के पति, सास, ससुर, देवर एवं नन्द द्वारा घर में झगडा विवाद कर गंगोत्री से गुथ्यम-गुथ्या मारपीट कर उसके सिर को दिवाल पर टकराया गया था जिससे उसके सिर पीछे कई जगह अन्दरूनी चोट आया था जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। आरोपियों द्वारा पुलिस को गुमराह करने की ?नियत से शव को निर्वस्त्र कर नकाईन मुछ तालाब के पास नाली झाड़ियों के बीच ले जाकर फेंक दिये थे। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आज दिनांक 10.12.2019 को आरोपी मृतिका का पति मनोहर बधेल 30 साल, सास तिहारिन बाई 50 साल, देवर सुनील बधेल 25 साल, नन्द कौशिल्या 19 साल एवं ससुर हीरालाल बधेल 56 साल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

**अवैध संबंधों को लेकर की गई थी महिला की हत्या, आरोपी को गिरफ्तार**

**» ग्राम करहिन (लैलूंगा) में दो दिन पहले मिला था महिला का शव » मर्ग जांच में हुआ हत्या उजागर**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम करहिन लुगानारा भद्रा में मृतिका शांति सिदार पति स्व0 धोबाराम सिदार उम्र 37 साल सा0 करहिन का शव मिलने की सूचना दिनांक 08.12.19 की राति थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक किरण गुप्ता को मिला। सूचना पर टीआई लैलूंगा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल, शव का निरीक्षण किया गया। मृतिका के जबड़ा में चोट का निशान था। मौके पर शव पंचनामा कर शव को पी.एम. के लिये भेजा गया था जिसका पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। पी.एम. रिपोर्ट पर मृतिका की मृत्यु गला दबाकर, प्रकृति हत्यात्मक लेख होना पाये जाने पर आज दिनांक 10.12.19 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 272/19 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



जानकारी के अनुसार मृतिका की लड़की व सूचनाकर्ता कु0 बनिता सिदार पिता स्व0 धोबाराम सिदार उम्र 15 साल बताया कि दिनांक 30/11/2019 के करीब 05/00 बजे शाम के समय इसे इसकी मां शांति सिदार बताया कि गांव का पदुम गुप्ता सोना का पदक लैलूंगा में खरीद दूंगा बोला है। तब दोनों मां बेटी लैलूंगा जाने के लिये निकले। रास्ते में इसके मां के मोबाईल में पदुम गुप्ता का फोन आया तो इसकी मां इसे वापस घर

जाके लिये बोली और यह वापस घर आ गई थी। मां रात में तथा दूसरे दिन भी वापस घर नहीं आने पर अपने मामा गोपाल सिदार और आसपास रिश्तेदारों में पता करने के लिये बताया थी। बालिका के मामा गोपाल सिदार द्वारा दिनांक 06.12.2019 को थाना लैलूंगा में उसकी बहन शांति सिदार के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर गुम इंसान क्रमांक 52/19 दर्ज कर जांच में लिया गया था।

दिनांक 08.12.19 को मवेशी चराने वाले लूगानारा भद्रा में एक महिला का लाश पडा है कहकर गांव करहिन में बताया था जिस पर मृतिका के घर वाले जाकर शव को देखें और पहचान किए तथा मृतिका की लड़की द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

**मानवाधिकार के सम्मान एवं समर्थन का संकल्प**



**न्याय साक्षी/रायगढ़।** राष्ट्रीय मानवाधिकार के अवसर पर आज दिनांक 10 दिसंबर 2019 को वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशन पर सभी थाना चौकियों में पुलिस अधिकारी एवं जवानों द्वारा मानवाधिकार के पालन करने एवं समर्थन का शपथ लिया गया है। पुलिस कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी/

कर्मचारियों द्वारा मानव अधिकार के सम्मान एवं समर्थन का संकल्प लिया गया। पुलिस कार्यालय के प्रांगण में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं ए.एच.टी.यु. रायगढ़ बेनेडिक्ट मिंज द्वारा पुलिस कार्यालय के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मानवाधिकार की शपथ दिलाया गया है।

**कलेक्टर में अधिकारी एवं कर्मचारियों ने ली मानव अधिकार की प्रतिज्ञा**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर श्रवण कुमार टंडन ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मानव अधिकारों को पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा के साथ धारण करने की प्रतिज्ञा दिलवाई। प्रतिज्ञा में मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन में अपना पूरा कर्तव्य निभाने तथा किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी मानव अधिकारों का सम्मान एवं समर्थन करने और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का अपने विचार शब्द या कार्य से



नुकसान नहीं पहुंचाने की शपथ ली गई। इस अवसर पर कलेक्टर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

**चार ओवरलॉडिंग वाहनों से वसूला गया 1 लाख 28 हजार का जुर्माना**

**इन वाहन चालकों पर हुई कार्यवाही**

- (1) आनंद साय पिता नारायण साय उम्र 41 वर्ष निवासी रायगढ़
- (2) अनिल दास पिता धिरामन दास उम्र 30 साल निवासी झारखंड
- (3) अरविंद लोहार पिता जनकधारी लोहार उम्र 32 साल निवासी झारखंड
- (4) सोमनाथ सिंह पिता महेश्वर सिंह उम्र 32 साल निवासी झारखंड



प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्रवंशी द्वारा स्टाफ के साथ वाहनों को चेककिया जा रहा था। इसी दौरान 04 डंपर में गिट्टी लोड होकर कटंगपाली से रायगढ़ जा रही थी जिसे भटली चौक के पास रोककर चेक कर

किया गया। वाहनों के दस्तावेज सही पाए गए किंतु वाहन में क्षमता से अधिक माल लोड था जिस पर धारा 113(3)/194(1) एमम्वी एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश

किया गया। आज दिनांक 10.12.19 को वाहन के चालक न्यायालय पहुंचे जहां माननीय न्यायालय द्वारा एक डम्पर पर रू. 38,000 तथा शेष तीन पर 30000-30000 रुपये का जुर्माना किया गया है।

**धान खरीदी में आयी तेजी और किसानों के चेहरे पर खुशी**

**» किसानों का हित सर्वोपरि- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल**

**» धान खरीदी केन्द्र लोड़ी में बड़ी संख्या में धान का विक्रय करने पहुंचे किसान**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** धान खरीदी केन्द्र सेवा सहकारी समिति लोड़ी में आज बड़ी संख्या में समर्थन मूल्य में धान का विक्रय करने पहुंचे किसानों के चेहरे पर खुशी थी। जिले में धान खरीदी में तेजी आयी है और किसान टोकन लेकर अपने धान की तौलाई करा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों का हित सर्वोपरि है और किसानों को राज्य शासन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान



रखा जाएगा और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य शासन किसानों से प्रति एकड़ 15 किंवटल के मान से धान खरीदी कर रही है। इसके लिए धान खरीदी का समय या धान खरीदी किरतों की संख्या बढ़ाई जाएगी। केन्द्र शासन द्वारा धान के लिए 1815 रुपये का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। खरीदी की राशि किसानों के खाते में जमा की जा रही है। राज्य शासन की

उन्होंने धान खरीदी केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति संतोष जाहिर किया। महापल्ली के किसान शेष चरण गुप्ता ने बताया कि उनकी 12 एकड़ जमीन है और वे 50 किंवटल धान बेचने आये हैं। वहीं झूमरपाली के लोकनाथ ने बताया कि आज वे 48 किंवटल धान बेचने आये हैं। महापल्ली के लक्ष्मीप्रसाद 36 किंवटल, तरंग राम विशाल 28 किंवटल धान का विक्रय करने लेकर आये थे। धान खरीदी केन्द्र में पेयजल, किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, तराजू-बाट सेट, प्राथमिक उपचार की पेट्टी, कम्प्यूटर की व्यवस्था की गई थी। किसान कतार में खड़े होकर बारी-बारी से अपने धान की तौलाई करा रहे थे।

**लायनेस क्लब दिव्य ऊर्जा ने नंदा पब्लिक मुक्त बधिर स्कूल में मनाया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस**

**» स्टेटर, मोजे, फल, बिस्कुट, सिलाई मशीन, वृक्षारोपण हेतु पौधे, आदि सामग्री भेंट किये**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** समाज सेवा में अग्रणी लायनेस क्लब दिव्य ऊर्जा द्वारा चेयरपर्सन लायनेस अंजू बंसल द्वारा डिस्ट्रिक्ट सचिव व चेयरपर्सन कोर्डिनेटर लायनेस अनीता कपूर के मार्गदर्शन पर क्लब के स्थायी प्रोजेक्ट मूक बधिर सेवा के तहत बड़गांव में स्थित मुक्त बधिर नंदा सकुलेशन संस्थान में बच्चों को उंड से निजात दिलाने हेतु 105 बच्चों को स्टेटर, मोजे तथा एक सिलाई मशीन प्रदान की गयी, बच्चों में फल तथा बिस्कुट का वितरण भी किया गया। जिसे पाकर बच्चे अत्यधिक खुश नजर आ रहे



थे.क्लब के इस कार्य की पूरे स्टाफ के सदस्यों ने सराहना की। नंदा स्कूल के बच्चों के द्वारा बहुत बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति दी गई डि सचिव अनीता कपूर जी ने अपने उद्बोधन में बच्चों के मानसिक व शारिरिक विकास हेतु आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की तथा आश्वासन दिया की समय समय पर हमारी संस्था बच्चों की आवश्यकतानुसार यथा संभव अपना सहयोग देती रहेगी।

नंदा सकुलेशन की अध्यक्ष लायनेस उषा अग्रवाल जी के नेतृत्व में बच्चों के धार्मिक एकता बनाये रखने को लेकर प्रेरणादायक नाटक की प्रस्तुती दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लायनेस मीरा पासवास द्वारा की गई विशेष सहयोग गायत्री अग्रवाल जी, सुचि अग्रवाल, रेखा केसरी, जी का रहा तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव सुमिता पांडे, कोषाध्यक्ष अंजू बंसल, आशा अग्रवाल, शशि सिधानिया, वंदिता घोराई, रंजना बैस मंजरी गुरु, बीना चौधथा आदि की सराहनीय उपस्थिति रही।